प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खण्ड पीठ

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री आर. एल. झंवर न्यायमूर्ति

विविध अपील क्रमांक 1259 / 2004

अपीलार्थीगण

1. श्रीमती किरण खाण्डे, विधवा स्वर्गीय कार्तिक राम खाण्डे, उम्र लगभग 22 वर्ष
2. ललितेश खाण्डे, पिता स्वर्गीय कार्तिक राम खाण्डे, उम्र लगभग 02 वर्ष, (अप्राप्तवय), द्वारा प्राकृतिक संरक्षक मां (अपीलार्थी क्रमांक 1)
3. श्रीमती अंजोरा बाई, उम्र लगभग 55 वर्ष, स्वर्गीय राम सहाय खाण्डे की विधवा,
4. विलोपित
5. चन्द्र प्रकाश खाण्डे, उम्र लगभग 20 वर्ष, पिता स्व. राम सहाय खाण्डे।

   सभी निवासी ग्राम अमलिकापा, थाना तखतपुर, तहसील कोटा जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. मनीष श्रीवास्तव पिता अज्ञात, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कुदुदंड, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

2. राजेश कुमार उर्फ कल्लू उर्फ कुल्लू, पिता श्री धजा राम यादव, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी दाऊपारा, मुंगेली, थाना एवं तह. मुंगेली, जिला. बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

3. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत विविध अपील का ज्ञापन

उपस्थित: श्री जी.पी. कुर्रे, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं, यद्यपि नोटिस तामिली।

श्री अविनाश मिश्रा उत्तरवादी क्रमांक 3 के अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(19 अप्रैल, 2011)

श्री राजीव गुप्ता, मु.न्यायमूर्ति द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

यह प्रतिकरअपील, दशम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 81/2004 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 17.08.2004 में प्रदान किए गए प्रतिकर की राशि में वृद्धि किए जाने हेतु अपील है।

2) मृतक कार्तिक राम खाण्डे की मृत्यु और दावेदार क्रमांक 1 श्रीमती किरण खाण्डे को मोटर दुर्घटना में दिनांक 10.05.2002 को लगी चोटों के लिए संयुक्त दावा याचिका

अपीलार्थीगण/दावेदारगण, मृतक कार्तिक राम खाण्डे की दुर्भाग्यपूर्ण विधवा, अवयस्क पुत्र, मां और भाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें दावा किए गए 47,48,040/- रुपये और 2,40,000/- रुपये के प्रतिकर के विरुद्ध, अधिकरण ने मृतक कार्तिक राम खाण्डे की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए प्रतिकर के रूप में कुल 5,60,600/- रुपये का भुगतान, दावा याचिका प्रस्तुत करने के दिनांक से वास्तविक भुगतान के दिनांक तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान करने का अधिनिर्णय पारित किया। अधिकरण ने दावेदार क्रमांक 1 किरण खाण्डे को मोटर दुर्घटना में उनके द्वारा कथित रूप से लगी चोटों के लिए कोई प्रतिकर नहीं दिया क्योंकि मोटर दुर्घटना में दावेदार द्वारा कथित रूप से लगी चोटों को स्थापित करने के लिए अधिकरण के समक्ष किसी डॉक्टर का परीक्षण नहीं कराया गया था।

3) अधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का गहन विश्लेषण के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक कार्तिक राम खाण्डे की मृत्यु दिनांक 10.05.2002 को मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी; दुर्घटना, पंजीयन क्रमांक एम.पी.26ई/7300 वाले दुर्घटना कारित वाहन मैक्सी-कैब के चालक की तेजी एवं उतावलपूर्वक गति से वाहन चलाने के कारण हुई थी; चूंकि दुर्घटना की तिथि पर उपरोक्त दुर्घटना कारित करने वाला वाहन मैक्सी-कैब का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था और बीमा कंपनी, पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन सिद्ध नहीं कर सकी, इसलिए बीमा कंपनी दावेदारगण को प्रतिकरदेने के लिए उत्तरदायी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) चूंकि उत्तरवादीगण ने निर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अधिकरण द्वारा अंकित किए गए उपरोक्त निष्कर्ष अब अंतिम हो गए हैं।

5) अधिकरण ने मृतक की आय ₹4,842 रुपये प्रति माह आंकी, जिसे पूर्णांकित कर ₹4,800 रुपये प्रति माह कर दिया गया। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए ₹4,800 रुपये में से 1/3 rd (एक तिहाई) घटाने पर, दावेदारगण की आश्रितता ₹3,200 रुपये प्रति माह और ₹38,400 रुपये

प्रति वर्ष आंकी गई। ₹38,400 रुपये की वार्षिक आश्रितता को 14 के गुणक से गुणा करने पर, प्रतिकर की राशि ₹5,37,600 रुपये निर्धारित की गई। अन्य मदों के अंतर्गत ₹23,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करते हुए, अधिकरण ने मोटर दुर्घटना में मृतक कार्तिक राम खाण्डे की मृत्यु के लिए दावेदारों को प्रतिकरके रूप में कुल ₹5,60,600 रुपये प्रदान करने का आदेश पारित किया। अधिकरण ने उपरोक्त प्रतिकरराशि ₹5,60,600 पर 6% प्रति वर्ष की दर से दावा याचिका प्रस्तुति दिनांक से वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज के भुगतान का भी निर्देश दिया।

6) अधिकरण ने दावेदार किरण खाण्डे को मोटर दुर्घटना में उसे कथित रूप से पहुंचाई गई चोटों के लिए कोई प्रतिकर का अधिनिर्णय नहीं दिया, क्योंकि दावेदार ने मोटर दुर्घटना में उसे कथित रूप से पहुंचाई गई चोटों की संख्या और प्रकृति को स्थापित करने के लिए अधिकरण के समक्ष किसी भी डॉक्टर का परीक्षण नहीं कराई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7) अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जी.पी.कुर्रे ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि अधिकरण ने मृतक कार्तिक राम खाण्डे की मृत्यु के लिए कम प्रतिकर केवल ₹5,60,600/- रुपये देने में त्रुटि की है; और मोटर दुर्घटना में दावेदार किरण खाण्डे को लगी चोटों के लिए केवल इस आधार पर कोई प्रतिकर नहीं देने में गलती की है कि अधिकरण के समक्ष किसी डॉक्टर का परीक्षण नहीं कराया गया था।

8) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी क्रमांक 3, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश मिश्रा ने निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि चूँकि मृतक कार्तिक राम खाण्डे की विधवा, दावेदार किरण खाण्डे को पुलिस विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है, इसलिए अधिकरण द्वारा दिया गया ₹5,60,600/- रुपये की प्रतिकरवर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायसंगत और उचित है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि

चूँकि दावेदार किरण खाण्डे यह साबित नहीं कर सकीं कि उन्हें मोटर दुर्घटना में चोटें आई थीं, इसलिए अधिकरण ने दावेदार को कोई प्रतिकर न देने का उचित ही निर्णय दिया।

9) मोटर दुर्घटना दावे के प्रकरण में, महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा दी जाने वाली प्रतिकरप्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत और उचित होना चाहिए। यह न तो प्रतिकरकी साधारण राशि होनी चाहिए, न ही कोई अतिरिक्त लाभ।

10) अब हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि क्या अधिकरण द्वारा दिया गया ₹5,60,600/- रुपये की प्रतिकरवर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित प्रतिकरहै।

11) मृतक कार्तिक राम खाण्डे दुर्घटना के समय पुलिस कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। वह सकल वेतन ₹5,378 रुपये प्रति माह और शुद्ध वेतन 4,842 रुपये प्रति माह प्राप्त कर रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) सुनवाई के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जी.पी. कुर्रे ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि कार्तिक राम खाण्डे की मृत्यु के पश्चात् दावेदार क्रमांक 1 किरण खाण्डे को पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है और अब वह ₹11,165 रूपये प्रतिमाह सकल वेतन प्राप्त कर रही है।

13) सर्वोच्च न्यायालय ने **भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड विरुद्ध श्रीमती कांता अग्रवाल एवं अन्य, 2008 एआईआर एससीडब्लू 5256** में प्रकाशित प्रकरण में, मृतक की विधवा को प्रदान की गई अनुकंपा नियुक्ति के कारक पर विचार करते हुए, कंडिका 12 और 13 में अवधारित किया कि:

> "12. लेकिन हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया कि मृत्यु या चोट के कारण दावेदार को मिलने वाले लाभों पर प्रतिकर तय करते समय उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए। यह बताया गया है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को ₹4,700 रुपये

प्रति माह और उसे एक आवास उपलब्ध कराया गया है और वास्तव में अनुकंपा नियुक्ति दुर्घटना के तुरंत बाद दी गई थी।

13. उपरोक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अस्थिर है। हालाँकि, दुर्घटना 14 वर्ष से भी अधिक समय पहले हुई थी और प्रकरण को नए सिरे से विचार के लिए अधिकरण को वापस भेजना वांछनीय नहीं होगा। इस न्यायालय के दिनांक 01.11.2004 के आदेश द्वारा पाँच लाख रुपये की राशि जमा की गई है। हमारा यह सुविचारित राय है कि पृष्ठभूमि के तथ्यों को देखते हुए, यह उचित और न्यायसंगत है कि मृतक की मृत्यु से संबंधित दावे के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए पहले से जमा की गई पाँच लाख रुपये की राशि को दावेदारगण द्वारा निकालने की अनुमति दी जाए। सावधि जमा की राशि और दावेदारगण को जारी की जाने वाली राशि निर्धारित करने का कार्य अधिकरण का है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14) **भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड विरुद्ध श्रीमती कांता अग्रवाल एवं अन्य** (पूर्वोक्त) प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत कथन के संदर्भ में जांच करने पर अधिकरण द्वारा प्रदान किया गया ₹5,60,600/- रुपये की प्रतिकर और यह तथ्य कि मृतक कार्तिक राम खाण्डे 5,378/- रुपये प्रति माह सकल वेतन प्राप्त कर रहा था और अपीलार्थी क्रमांक 1 श्रीमती किरण खाण्डे, मृतक कार्तिक राम खाण्डे की विधवा को पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई थी और अब वह 11,165/- रुपये प्रति माह सकल वेतन प्राप्त कर रही हैं, हम संतुष्ट हैं, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में यह उचित और उचित प्रतिकरहै और इस अपील में किसी भी वृद्धि की आवश्यकता नहीं है।

15) जहां तक अपीलार्थी क्रमांक 1 श्रीमती किरण खाण्डे द्वारा मोटर दुर्घटना में उन्हें लगी चोटों के लिए दावा किए गए प्रतिकरका संबंध है, यह सच है कि मोटर दुर्घटना में दावेदार को लगी चोटों की

संख्या और प्रकृति तथा यह तथ्य कि उन चोटों के कारण कोई स्थायी विकलांगता हुई है, स्थापित करने के लिए अधिकरण के समक्ष किसी डॉक्टर का परीक्षण नहीं किया गया था।

16) यह प्रश्न कि क्या प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टर का परीक्षण किए बिना, अधिकरण के समक्ष दावेदार द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र पर प्रतिकरके आकलन के लिए ठोस साक्ष्य के रूप में अवलंब लिया जा सकता है, **ए.पी. एसआरटीसी विरुद्ध पी. थिरुपाल रेड्डी, (2005) 12 एससीसी 189** में प्रकाशित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था, जिसमें कंडिका 6 में निम्नलिखित अवधारित किया गया था:

> "6. प्रतिवादी-दावेदार के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, जिन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन करने का प्रयास किया, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के पास डॉ. सुधाकर रेड्डी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र पर विश्वास करने और चोट को 45 प्रतिशत स्थायी विकलांगता मानकर प्रतिकरमें वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा करके वृहद त्रुटि की कि डॉ. सुधाकर रेड्डी के मेडिकल प्रमाण पत्र को अधिकरण ने उस डॉक्टर का परीक्षण न करने के कारण निरस्त कर दिया था। अधिकरण ने डॉ. के.एम. मित्रा के साक्ष्य के आधार पर शारीरिक विकलांगता को 15 प्रतिशत निर्धारित किया है और उचित प्रतिकरदिया है। उच्च न्यायालय ने इसे बदलने और प्रतिकरबढ़ाने में त्रुटि की है। परिणामस्वरूप, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, आक्षेपित आदेश को निरस्त करते हैं और दावा अधिकरण के अधिनिर्णय को पुनर्स्थापित करते हैं। प्रत्यर्थी-दावेदार को अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकरकी राशि आहरित करने की अनुमति है, यदि वह पहले से आहरित नहीं की गई है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17) सर्वोच्च न्यायालय ने **राजेश कुमार उर्फ राजू विरुद्ध युद्धवीर सिंह और अन्य, (2008) 7 एससीसी 305** के प्रकरण में हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में, कंडिका 11 में उसी दृष्टिकोण को दोहराते हुए यह अवधारित किया है:

"11. इस प्रकरण में प्रश्नाधीन प्रमाणपत्र दो वर्ष बाद प्राप्त किया गया था। यह ज्ञात नहीं है कि अस्पताल के सिविल सर्जन ने अपीलार्थी का उपचार किया था या नहीं। दुर्घटना के दो वर्ष बाद ऐसा प्रमाणपत्र किस आधार पर जारी किया गया, यह ज्ञात नहीं है। उक्त प्रमाणपत्र के लेखक का परीक्षण नहीं किया गया था। जब तक प्रमाणपत्र के रचयिता ने स्वयं का परीक्षण नहीं कराया, तब तक यह साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं था। 60% विकलांगता की गणना कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर की गई थी या अन्यथा, यह ज्ञात नहीं है। यह भी ज्ञात नहीं है कि वह ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम था या नहीं। ऐसा प्रतीत भी नहीं होता कि हमारे समक्ष उठाए गए तर्क अधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए थे। इसलिए, अधिकरण और उच्च न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों पर प्रस्तुत सामग्रियों के आधार पर कार्यवाही की। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में कोई तर्क न उठाए जाने के कारण, जो हमारे विचार से प्रथम दृष्टया लागू नहीं होता, उसे, हमारे विचार से, प्रथम बार उठाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18) चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टर का परीक्षण किए बिना दावेदार द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र, उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत आदेश **ए.पी. एसआरटीसी विरुद्ध पी. थिरुपल रेड्डी** (पूर्वोक्त) और **राजेश कुमार उर्फ राजू विरुद्ध युद्धवीर सिंह एवं अन्य** (पूर्वोक्त) को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकरण में प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता।

19) इसलिए, हम अधिकरण के इस दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं कि दावेदार किरण खाण्डे मोटर दुर्घटना में उन्हें लगी चोटों के लिए कोई प्रतिकर पाने की अधिकारिणी नहीं थी।

20) उपर्युक्त कारणों से, प्रतिकरमें वृद्धि के लिए अपीलार्थीगण/दावेदारों द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।

21) वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

सहीं/-

मुख्य न्यायमूर्ति

सहीं/-

आर.एल. झंवर

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By : Kamlesh Kumar Sahu